

25.11.19

पत्रावली पेशा हुई / कड़ीय उभयपक्ष उपर /
रेसपो कमलावती द्वारा पेशा प्रा. पत्र पर गौर किया /
प्रा. पत्र के साथ पेशा जि. दि. 9.9.19 का अपलोड न
किया तो पाया कि तहत न्यायालय द्वारा प्रकरण
से संबंधित मूल वाद सं. 264/2008 को
निर्णय दिनांक 9.9.19 द्वारा निर्णित किया जा
चुका है /

प्रस्तुत अपील अर्थात् निवेद्याद्वारा के खिलाफ
है / चूंकि जब मूल वाद ही निर्णित हो
चुका है तो ऐसी स्थिति में धारा 212


नय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
अलवर [राज०]

हुक्म या कार्यवाही

R.T. एक्ट की शर्त अपील प्रभावहीन
हो चुकी है /

अतः शर्त अपील प्रभावहीन होने
के कारण खारिज की जाती है /

प्रभावहीन फैसल नुमाद डैडलिन नम्बर
से कम हो / दाखिल दफ्तर है /


25/11/19
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर